



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 13, 2000/भाद्र 22, 1922

No. 598]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 13, 2000/BHADRA 22, 1922

प्रसार भारती

(भारतीय प्रसारण निगम)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2000

का.आ. 823(अ).—प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम), केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 (1995 का 7) की धारा 8 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन दूर दर्शन चैनलों की संख्या और नाम, जिनका केबल आपरेटरों द्वारा उनकी केबल सेवा में पुनः प्रसारण किया जाना है और ऐसे चैनलों की प्राप्ति और पुनः प्रसारण की रीति विनिर्दिष्ट करता है, अर्थात् :—

1. प्रत्येक केबल आपरेटर :—

(i) निम्नलिखित दूरदर्शन चैनलों को प्राप्त करेगा और अपनी केबल सेवा में मुख्य बैंड पर ऐसे चैनलों पर जो स्थलीय प्रसारण आवृत्तियों वाले चैनलों से भिन्न है, पुनः प्रसारण करेगा।

(क) डी डी-I (राष्ट्रीय चैनल)

(ख) डी डी-II (मेट्रो चैनल)

(ग) अनुसूची के अनुसार ऐसे राज्य की, जिसमें केबल आपरेटर अवस्थित है, प्रादेशिक भाषा का एक चैनल।

(ii) अच्छी क्वालिटी की प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए, उसकी केबल सेवा पर पुनः प्रसारण के लिए दूरदर्शन चैनलों के अंकक सिग्नल केबल ऐसे डिश एंटीना/टेलीविजन प्राप्ति द्वारा प्राप्त किया जाएगा, जो बारह फीट से कम व्यास की डिश नहीं होगी और न ही यागी एंटीना से प्राप्त केबल उपग्रह सिग्नल अधिमानतः प्राप्त करेगा।

(iii) केबल सेवा में ऐसी आवृत्ति के बैंड पर, जिस पर दूरदर्शन स्थलीय चैनलों का प्रसारण किया जाता है, किसी अन्य चैनल का प्रसारण नहीं करेगा;

(iv) अन्य उपग्रह चैनलों के सदृश अन्तिम उपभोक्ता तक दूरदर्शन चैनलों की अच्छी क्वालिटी प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए मानक उपस्कर का प्रयोग करेगा।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए, पद “प्राइम बैंड” में बैंड-I (47 से 68 मेगाहर्ट्ज की रेंज वाले चैनल 2 से 4) और बैंड-III (174 से 230 मेगाहर्ट्ज रेंज वाले चैनल 5 से 12) के अन्तर्गत आने वाले चैनलों से संबन्धित आवृत्तियां आती हैं।

अनुसूची

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	केबल ऑपरेटर द्वारा पुनः प्रसारित किए जाने वाले दूरदर्शन के प्रादेशिक भाषा के चैनल का नाम
1.	आन्ध्र प्रदेश	डी डी-तेलुगू
2.	अरुणाचल प्रदेश	डी डी-उत्तर-पूर्व चैनल
3.	असम	डी डी-उत्तर-पूर्व चैनल
4.	चण्डीगढ़	डी डी-पंजाबी
5.	दमण और दीव	डी डी-गुजराती
6.	दादरा और नागर हवेली	डी डी-गुजराती
7.	गुजरात	डी डी-गुजराती
8.	जम्मू-कश्मीर	डी डी-कश्मीर
9.	कर्नाटक	डी डी-चंदना
10.	केरल	डी डी-मलयालम
11.	लक्षदीप	डी डी-मलयालम
12.	महाराष्ट्र	डी डी-सह्याद्रि
13.	मणिपुर	डी डी-उत्तर-पूर्व चैनल
14.	मेघालय	डी डी-उत्तर-पूर्व चैनल
15.	मिजोरम	डी डी-उत्तर-पूर्व चैनल
16.	नागालैंड	डी डी-उत्तर-पूर्व चैनल
17.	उड़ीसा	डी डी-उड़िया
18.	पाण्डिचेरी	डी डी-पोडिगै
19.	पंजाब	डी डी-पंजाबी
20.	तमिलनाडु	डी डी-पोडिगै
21.	त्रिपुरा	डी डी-उत्तर-पूर्व चैनल
22.	पश्चिमी बंगाल	डी डी-बंगला

[फा. सं. 16(1)केबल-2000/ई II]

सूरज आहूजा, उप निदेशक (यांत्रिक), दूरदर्शन

PRASAR BHARATI

(Broadcasting Corporation of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2000

S.O. 823 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) read with sub-section (1) of section 8 of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 (7 of 1995), the Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) hereby specifies the number and names of Doordarshan channels to be re-transmitted by the cable operators in their cable service and the manner of reception and re-transmission of such channels, namely :—

1. Every cable operator shall .—

(i) receive and re-transmit the following Doordarshan channels in his cable service in the prime band on channels other than those carrying terrestrial broadcast frequencies.—

(a) DD-I (National channel);

- (b) DD-II (Metro channel);
- (c) one regional language channel of the State in which the cable operator is located according to the schedule:
- (ii) take only satellite signals preferably digital signals of Doordarshan channels for retransmission on their cable service by dish antenna/Television Receive Only of not less than 12 feet diameter dish, and not Yagi antenna to ensure good quality reception;
- (iii) not transmit any channel on the cable service in the same frequency band in which Doordarshan terrestrial channels are transmitted;
- (iv) use standard equipment to ensure good quality reception of Doordarshan channels upto tail-end subscribers comparable with other satellite channels.

Explanation : For the purpose of this notification, the expression "prime band" constitutes frequencies relating to channels falling in the band I (channels 2 to 4 ranging from 47 to 68 MHz) and Band III (channels 5 to 12 ranging from 174 to 230 MHz).

SCHEDULE

Sl. No	Name of State/Union Territory	Name of the Regional Language Channel of Doordarshan to be Re-Transmitted by the Cable Operator
1.	Andhra Pradesh	DD—Telugu
2.	Arunachal Pradesh	DD—North-East Channel
3.	Assam	DD—North-East Channel
4.	Chandigarh	DD—Punjabi
5.	Daman and Diu	DD—Gujarati
6.	Dadra and Nagar Haveli	DD—Gujarati
7.	Gujarat	DD—Gujarati
8.	Jammu and Kashmir	DD—Kashmir
9.	Karnataka	DD—Chandana
10.	Kerala	DD—Malayalam
11.	Lakshadweep	DD—Malayalam
12.	Maharashtra	DD—Sahyadri
13.	Manipur	DD—North-East Channel
14.	Meghalaya	DD—North-East Channel
15.	Mizoram	DD—North-East Channel
16.	Nagaland	DD—North-East Channel
17.	Orissa	DD—Oriya
18.	Pondicherry	DD—Podigai
19.	Punjab	DD—Punjabi
20.	Tamil Nadu	DD—Podigai
21.	Tripura	DD—North-East Channel
22.	West Bengal	DD—Bangla

[F. No. 16(1) Cable-2000/E-II]
SURAJ AHUJA, Dy. Director (Engg.), Doordarshan

